क्रमांक 22/89/97-3 जी0एस0-III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में ।

2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गावां मण्डल ।

3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।

4. सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना0) हरियाणा राज्य में ।

5. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक 12-11-1997.

विषय:—सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, के लिए तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने बारे ।

श्रीमान जी,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान विकलांग जन (समान अवसर अधिकारी, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-95 के अनुच्छेद-6 की धारा-39 की ओर आकर्षित करूं ।

2. उक्त कथित अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत सरकारी शैक्षणिक संस्थाएँ तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं में दाखिले के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण करने (1% for blindness or low vision, 1% for hearing impartment and 1% for Locomotor disability or cerebral palsy) बारे राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ।

3. उपरोक्त हिदायतों को दृढ़ता से पालना की जाये ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।